श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, मैंने तो यह नहीं कहा कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। मैंने तो यह कहा है कि अगर कहीं होता है, अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और उसे पुलिस के पास भेजेंगे ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, यह जो मानसिकता है, इसका निदान नहीं है ...(व्यवधान)... अगर शिकायत आएगी तो हम कार्यवाही करेंगे ...(व्यवधान)... अपराध हो जाने दीजिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी, माननीय सदस्य यह जानकारी करना चाहते हैं कि आप इंडीविजुअल कम्प्लेंट पर तो काम करते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनकी रोकथाम के लिए आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, ऐसी जो महिलाएं अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं, इसके लिए तो अभी कोई कानून ही नहीं बना है। हमने कहा कि अभी हम इनकी सेफगार्ड के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो बिल आपके सामने पेश करेंगे, उसमें जो भी पोसीबल वेआऊट होगा, वह बहनों से चर्चा करके, उनकी भी राय लेकर पेश करेंगे। मैंने जितने भी माननीय सदस्य हैं, जो राज्य सभा के सदस्य भी हैं और, लोक सभा के सदस्य भी हैं, मैंने सबको व्यक्तिगत पत्र लिखा है। ..(व्यवधान)

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मेरे पास नहीं आया है।

श्री सभापति: आपने पत्र खोला ही नहीं होगा। ...(व्यवधान)

कुमारी मैबल रिबैलो: नहीं, सर। आया ही नहीं है।

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, मैंने सबको व्यक्तिगत पत्र लिखा है। अगर किसी को पत्र नहीं भी मिला हो। ...(व्यवधान)... सभापति जी, मेरी बात सुन ली जाए। अगर किसी को पत्र नहीं भी मिला हो तो मैं सभी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से भी और लिखित में भी, कि जब चाहें वह मिल सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि इस असंगठित क्षेत्र के संबंध में जो बिल हम पेश करने वाले हैं, उसमें आप सभी की जो सोच है उसका उसमें समावेश हो सके। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बस अब तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 244, श्री विजय राघवन।

Supply of rice to BPL families

*244. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news report captioned "Right

to food still a dream" which appeared in 'The Hindu' dated the 24th October, 2002;

(b) if so, what steps would be taken to provide rice to families Living Below the Poverty Line as directed by the Supreme Court;

(c) what action Government propose to take so that price of the rice through ration shop is fixed as per the purchasing capacity of these families living in extreme poverty;

(d) whether any action plan is proposed to be formulated to help villagers in various parts of the country who are bracing themselves for extreme hunger in months ahead due to crop failure; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) to (e) The Central Government have been making allocations of foodgrains under the Targeted Public Distribution System (TPDS) to the State Governments and UT Administrations for distribution amongst the BPL families @ 35 kg per family per month. The Central Issue Prices for the BPL families are highly subsidized and have remained unchanged since July, 2000.

In order to address the needs of one crore poorest of the poor families, the Antyodaya Anna Yojana (AAY) is being implemented in all parts of the country under which foodgrains are issued @ Rs. 2 a kg for wheat and Rs. 3 a kg for rice at the retail level.Under the Special Component of the Sampoorna Gramin Rojgar Yojana (SGRY), the foodgrains are provided, free of cost, to the States affected by natural calamities such as flood, cyclone and drought for generation of additional employment opportunities, alongwith food security, through creation of durable community assets in the rural areas. So, far, about 38.29 lakh MTs of foodgrains have been allotted to 16 drought/natural calamity affected States under the Special Component of the SGRY during the current financial year.

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, the main issue that I have raised in

my question has not been addressed. The Hon. Minister has mentioned so many Central Government programmes which aim at preventing starvation deaths and the related issues. But, unfortunately, despite all these programmes, starvation deaths have been occurring in different parts of our country. In the last four or five months, 22 children died in Maharashtra, 16 children died in Rajasthan, and many people are still dying in the four districts of Orissa, namely, Kalahandi, Palamu, Raigada and Keonjhar. So many starvation deaths have taken place and you are just giving this reply about the Central Government programmes! So, all these programmes have failed to prevent starvation deaths. The food subsidy is only resulting in the piling up of food stocks in the FCI godowns, because the poor people do not have any access to these food stocks. You have to address this problem. Unfortunately, that is not reflected here in your answer. It is the Central Government's inaction and lack of timely assistance that is responsible for this miserable condition of our poor people. The Government has failed, so far as food management is concerned.

Therefore, I would like to know whether the Government is thinking of changing its existing food management system. I would also like to know whether the Government will give an assurance in this House that it will reduce the issue price of the foodgrains, and bring it at par with the export price. Will the Government make such an arrangement which is in tune with the Supreme Court verdict directing the Central Government to take steps for preventing deaths due to starvation and malnutrition?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वह बहुत चर्चित सवाल है, चिंता का सवाल है। पूरे देश भर में एक तरह से सब तरफ से खबरें आती हैं कि भूख से मौत हो रही हैं। मैंने स्कीम्स का नाम दिया है। निश्चित तौर पर, सभापति जी, यह जिम्मेदारी दोनों की बनती है, भारत सरकार की भी और सुबाई सरकार की भी। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उसके ऊपर मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह बताना चाहता हूँ कि वह हमारी जिम्मेदारी है, यदि कहीं हमारी किसी जिम्मेदारी में कोई कमी है, जो सेंट्रल इश्यू प्राइस का आपने कहा है, यह बहुत से सवाल हैं, वह हमारी जिम्मेदारी में आते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो गरीब लोग हैं, जो लाचार और बेबस लोग हैं, निर्धन लोग हैं उनके लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं और उनके लिए धन का भी ऐलोकेशन दिया हुआ है। बी॰पी॰एल॰, ए॰पी॰एल॰, अंत्योदय अन्न योजना ...(व्यवधान)...

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: These programmes have failed. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादव: आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री सभापति: आप बात तो सुन लीजिए। आप लोग परिचित हैं लेकिन जिन गरीबों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, वे परिचित नहीं हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: यह वहां क्यों नहीं पहुंच रहा? ..(व्यवधान)

श्री शरद यादव: सभापति जी, फिर दूसरी तरह की स्कीम है एस॰जी॰आर॰वाई॰। 10,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने, फ्री, मुफ्त में भोजन दिया हुआ है काम के बदले अनाज योजना की जगह। फूड फार वर्क, मिड-डे मील, अन्नपूर्णा, एस॰सी॰/एस॰टी॰ हॉस्टल में, इन पर पिछले साल 2001-2002 में हमने 407 लाख टन अनाज सब सूबों को दिया, लेकिन जो उठान हुआ वह 209 लाख टन का हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं मोटे तौर पर कि बीमारी कहां है। इस साल के लिए यानी, 2002-2003 के लिए, चाहे बी॰पी॰एल॰ हो, चाहे ए॰पी॰एल॰ हो, अंत्योदय अन्न योजना हो, चाहे एस. जी. आर. वाई हो, चाहे मिड-डे मील योजना हो, इन सारी योजनाओं में 547 लाख मीट्रिक टन अनाज का अलॉटमेंट है, जिसमें से अभी उठ पाया है करीब 154 लाख टन। 12 सूबों में ड्राउट है और जो अभी टास्क फोर्स ने अभी अप्रैल से लेकर आगे के महीनों के लिए, जो 12 सूबे हैं—आंध्र के लिए 3 लाख टन छत्तीसगढ़ के लिए .50 लाख टन, हरियाणा के लिए, .25 लाख टन, कर्नाटक के लिए 2 लाख टन, मध्य प्रदेश के लिए 1 लाख टन, राजस्थान के लिए 7 लाख टन, उड़ीसा के लिए 2 लाख टन, उत्तरांचल के लिए .50 लाख टन, तमिलनाडु के लिए .50 लाख टन, झारखंड के लिए .40 लाख टन, हिमाचल प्रदेश के लिए .10 लाख टन के लिए कहा है। ...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय: इसके बावजूद भी स्टारवेशन डेथ हो रही हैं।

श्री शरद यादव: यानी 19.25 लाख मीट्रिक टन, जो ड्राउट अफेक्टिड सूबे हैं और जिसमें उड़ीसा भी आता है, जिसके बारे में सवाल श्री राघवन जी ने उठाया है, वह भी आता है और वहां के॰बी॰के॰ एक रीजन बनाया गया है, प्रधान मंत्री ने अपनी तरफ से उस इलाके में ए॰पी॰एल॰, बी॰पी॰एल॰ के बारे में बात की और वहां करीब 17 लाख फेमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया और वहां पूरी तरह से अनाज देने का काम किया गया। सभापति जी, इसके बाद हमने टास्क फोर्स बनाया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस सदन में जितने लोग हैं, चाहे इधर के हों या उधर के, सबकी सरकारें सूबों में हैं, जो पी॰डी॰एस॰ है, गरीबों की पहचान करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, जो सवाल श्री राघवन जी ने पूछा है, मैं यह मानता हूं और आपके माध्यम से सदन में शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारी टास्क फोर्स गई है, उड़ीसा गई है, राजस्थान गई है, मध्य प्रदेश गई है, उत्तर प्रदेश गई है, बिहार गई है, झारखंड गई है, इन सारे सूबों में जाने के बाद जो पहचान है गरीब लोगों की, अति-निर्धन लोगों की, वह आंकड़ों में तो जरूर हमारे पास आ गई है, पेपर में आ गई है, लेकिन उन गरीबों तक अनाज नहीं जा रहा है, यह मैं आपकी बात मानता हूं। वह जमीन पर कैसे जाए? यह तो दोनों के मेल से होगा और सभापति जी, हमारी तरफ

से ऐलोकेशन में या अनाज की कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास इतना अनाज है कि हम किसी भी तरह की स्थिति में उसे देने को तैयार हैं लेकिन उसका इंतजाम ठीक होना चहिए। ..(व्यवधान)..

श्रीमती सरला माहेश्वरी: यह मुझे समझ में नहीं आता है कि वहां लोग भूख से मर रहे हैं और आप यहां ताली बजा रहे हैं कि हमारे पास बहुत भंडार है। ..(व्यवधान)..

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Would you change your food management system? ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You now put your second supplementary.

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, this is very unfortunate. I asked the Minister whether the Government would come out with a specific food management system, since the existing one has failed. This has not at all been answered. It is very unfortunate.

Secondly, although the hon. Minister is mentioning about the identification process which has started now, the parameters laid down for identification of BPL families, by the National Sample Survey Organisation and the Planning Commission; have created so many anomalies. As a result, half of the existing beneficiaries would be deprived of the benefit. (*Interruptions*). In Rajasthan, half of them are already missing out from the list. Keeping this in view, would the Government rectify the anomalies which have crept in now? Would you consult the States and change the existing pattern of identifying the BPL families and come out with a fresh proposal, in consultation with the State Governments?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय राघवन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो हमारा PDS सिस्टम है, उसमें काफी खामियां हैं और अनाज रहते हुए भी वह लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये जो ऐनॉमली आप बता रहे हैं, हमारा जो PDS सिस्टम बना हुआ है, उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए और जो ऐनॉमली है, उसको कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि PDS का जो ऑर्डर निकला हुआ है, जिसके बारे में सारी बातें यहां रखी गई हैं, निश्चित तौर पर उसमें जो भी खामियां हैं, उनको हम दूर करने के लिए तैयार हैं। चूंकि भूख का सवाल न हमारा है, न इनका है, यह पूरे देश का सवाल है और पूरा सदन इस बारे में चिंतित है। इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और केवल इसी मुद्दे पर लिखा है कि इसको कैसे ठीक और दुरुस्त किया जाए।

श्री जीवन राय: आपके पास अनाज है लेकिन आदमी भूख से मर रहे हैं, This is a dangerous thing.

श्री दिनेश त्रिवेदी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए, वे अपनी जगह सही हो सकते हैं लेकिन हम सबके लिए यह बड़े शर्म की बात कि आज 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। मंत्री जी ने यह बताया कि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को अनाज दे रही है। मंत्री महोदय, सवाल यह है कि क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है या आप कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे जिससे आप यह मॉनीटर कर सकें कि गरीबों तक अनाज पहुंच रहा है या नहीं? आपने बताया कि गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्र कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे गरीबों तक अनाज पहुंच सके।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया है कि अनाज हमारे पास है लेकिन वह गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमें इसके लिए कोई तरीका निकालना है और हम सबको मिलकर वह तरीका निकालना है। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि इसके लिए पूरे सूबों के चीफ-मिनिस्टरों को बुलाकर कैसे इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए।

श्री सभापति: मंत्री जी, आप माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ गए होंगे कि आपके पास अनाज बहुत है, आप आवंटन भी कर रहे हैं लेकिन गरीबों के पास वह अनाज नहीं पहुंच रहा है। PDS को जिस प्रकार से काम करना चाहिए, उस प्रकार से वह काम नहीं कर रहा है। इसका इंप्रूवमेंट जल्दी से जल्दी किस प्रकार से होगा, वह ऐश्योरेंस हाऊस को दीजिए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, आपने जो आदेश दिया है, मैं उसे शिरोधार्य करता हूं लेकिन PDS दोनों की जिम्मेदारी है और PDS सीधे स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है।

श्री सभापति: वह चाहे किसी के हाथ में हो लेकिन यह तो तथ्य है कि न गरीबों की पहचान पूरी हो पाती है और न गरीबों तक अनाज पहुंचता है।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि इसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार पहल करेगी और इस सवाल पर सभी चिंतित हैं....(व्यवधान)

SHRI JIBON ROY: You come with a statement later. आप पूरी छानबीन करके स्टेटमेंट लेकर हाऊस में आइए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैंने निवेदन किया है कि इस सवाल को हल करने के लिए ...(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति जी इस सदन में और उस सदन में भी यह प्रश्न लगातार उठता रहा है और सदस्यों की आलोचना का निशाना बना है। जब देश में अनाज के भंडार भरे हैं तो फिर लोग भूख से क्यों मर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि सब मरने वालों के बारे में यह कहना कि वह भूख से मर रहे हैं यह तथ्यों के अनुरूप नहीं है। लेकिन जहां अनाज पहुंचता नहीं है जैसा आपने प्रश्न खड़ा किया केन्द्र में अनाज है, अनाज प्रदेशों में चला जाता है और अब प्रदेश को उसके वितरण की व्यवस्था करनी है। इसमें कहीं न कहीं चूक हो रही है। इसके लिए कई प्रयोग करके देखे गए कि पंचायतों को दें या गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करें। मैं इस सवाल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए तैयार हूं और सदस्यों से मार्गदर्शन चाहूंगा।

*245. [The questioner (Shri Drupad Borgohain) was absent. For answer *vide* page 28 infra]

*246. [The questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent. For answer *vide* page 29 infra]

*247. [The questioner (Dr. Prabha Thakur) was absent. For answer *vide* page 29 infra]

*248. [The questioner (Shri P. Prabhakar Reddy) was absent. For answer *vide* page 30 infra]

राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव की लागत

*249. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'**:†
श्री कपिल सिब्बल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 58112 कि.मी. है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी-कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रति वर्ष मरम्मत और इसके रखरखाव पर औसतन कितना व्यय किया जाता है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी]: (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।